

अंतिम डिक्री व मुकदमें इत्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

पोलू बनाम काली

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 115/2022

पेश करने की दिनांक - 04.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई कैलाश बीजावत व राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम भवानीखेडा के हाल खसरा नम्बर 797/3085, 758/3080, 703/1, 931/3235/1 रकबा कमशः 0.04, 0.09, 0.1183 व 0.04 का खातेदार वादी पोलू पुत्र लादू को हाल खसरा नम्बर 703/2, 581, 702, 2219, 2271, 2316/1, 2220/1, 2270/1 रकबा कमशः 0.0117, 0.22, 0.14, 0.12, 0.17, 0.12, 0.14, 0.0716 का खातेदार घीसा पुत्र मादू को, हाल खसरा नम्बर 2220/2, 2270/2, 2316/2, 931/3235/2 रकबा कमशः 0.08, 0.0884, 0.08, 0.04 का खातेदार काली पुत्री प्रभु 1/3 हि., गुलाबी देवी पत्नी प्रभु 1/3 हि., शांति पुत्री प्रभु 1/3 हि. को घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 8 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

7/9/2025